

उप-मुख्य आयुक्त (समन्वय)	संबंधित अपर आयुक्त आयुक्त (न्यायिक)
आयुक्त आधिकारी (मुख्या), (समन्वय)	अपर आयुक्त आयुक्त (मुख्या) (प्रशा.)
आयुक्त आधिकारी (एकल खिड़की) समाशासन प्रकाश	अपर आयुक्त आयुक्त (मुख्या) (कार्मिक)
	अपर आयुक्त आयुक्त (सी.ओ.)



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

कार्यालय - मुख्य आयुक्त आयुक्त -1, अहमदाबाद
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX -1, AHMEDABAD

कक्ष सं 708, आयुक्त भवन, वेजलपुर, अहमदाबाद

Room No. 708, Aayakar Bhawan, Vejalpur, Ahmedabad

दूरभाष (079) 26941707, पिन: 380015 / Tel. : (079) 26941707, PIN: 380015

E mail: ahmedabad.ccit1@incometax.gov.in

No. CC-1/ABD/HQ/17(2)/PH/15/2019-20

156

दिनांक : 18/04/2022

विषय : आयुक्त नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयुक्त अधिनियम, 1961

की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के

अधीन पुश्या मल्टीस्पेशिएलटी हॉस्पिटल, 32 सरदार पटेल नगर, ए बी सी -1 के

सामने, वाघ बकरी टी लाउन्ज के पास, सी जी रोड, अहमदाबाद को अनुमोदन प्रदान

करने के बारे में-- (पैन: AAICS5593B)

प्राप्त आयुक्त आयुक्त (मुख्या) (समन्वय)
कार्यालय-मुख्य आयुक्त आयुक्त (मुख्या) (प्रशा.)
29 APR 2022
प्राप्त दिनांक

Sub. : Approval under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the I. T. Act, 1961 in respect of Pushya Multi Specialty Hospital, 32, Sardar Patel Nagar, Opp. ABC-1, Nr. Wagh Bakri Tea Lounge, Off. C G Road, Ahmedabad (PAN: AAICS5593B) – reg

आयुक्त अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुमोदन/Approval u/s 17(2) of the I. T. Act, 1961

आयुक्त नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयुक्त अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन और उसमें उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए:

पुश्या मल्टीस्पेशिएलटी हॉस्पिटल, 32 सरदार पटेल नगर, ए बी सी -1 के सामने, वाघ बकरी टी लाउन्ज के पास, सी जी रोड, अहमदाबाद को इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान करता हूँ।

In exercise of powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 3A(1) of the Income tax Rules, 1962 and having regard to guidelines prescribed therein, approval is hereby granted to:

Pushya Multi Specialty Hospital, 32, Sardar Patel Nagar, Opp. ABC-1, Nr. Wagh Bakri Tea Lounge, Off. C G Road, Ahmedabad

2. तदनुसार, किसी कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य पर आयुक्त नियमावली, 1962 के नियम 3ए(2) के अधीन विहित रोग अथवा बीमारी के इलाज के लिए ऊपर उल्लिखित अस्पताल में प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा संदत्त राशि को आयुक्त अधिनियम 1961 की धारा 15, 16 व 17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि नहीं माना जाएगा। कर्मचारी को ऐसी राशि के लिए आयुक्त में छूट दी जाएगी। ऐसी राशि के संबंध में, आयुक्त अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन नियोक्ता कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अपर आयुक्त आयुक्त (मुख्या) (प्रशा.)	अपर आयुक्त आयुक्त (मुख्या) (कार्मिक)
अपर आयुक्त आयुक्त (समन्वय एवं टै.पी.एस.)	अपर आयुक्त आयुक्त (सी.ओ.)



Page 1 of 3

28/4

प्राप्त लिपिक/RECEIPT CLERK
प्रधान मुख्य आयुक्त आयुक्त
Principal Chief Commissioner of Income-Tax
28 APR 2022
R-858
गुजरात, अहमदाबाद
GUJARAT, AHMEDABAD

2. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his/her medical treatment of any other member of his/her family at the above mentioned Hospital in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income tax Rules, 1962, shall not be treated as perquisite for the purpose of section 15, 16 and 17 of the Income tax Act, 1961 and such sum shall be exempt from Income tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income tax Act, 1961 in respect of such sum.

3. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उद्देश्य के लिए एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त - गुजरात अथवा सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

4. यह अनुमोदन तारीख 18/04/2022 से 17/04/2025 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसे अनुमोदन तथा संशोधन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी परिवर्तन द्वारा अनिवार्य बनाने की स्थिति में नियम 3ए(2) के अधीन विहित सांविधिक शर्तों के साथ अस्पताल द्वारा अनवरत अनुपालन पर निर्भर है।

4. The approval is valid for a period of three years from 18/04/2022 to 17/04/2025 and is subject to the continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income tax Rules, 1962 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income tax Act, 1961.

5. यह अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-

5. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-


(क) यह अनुमोदन अन्तरणीय नहीं है।

(a) The approval is not transferable,

(ख) आयकर विभाग द्वारा विधिवत रूप से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समय पर खुला रहेगा।

(b) The Hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income tax Department as are duly authorized in this behalf,

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अस्पताल को विहित शर्तों का पालन करना होगा। कानून द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य की सूचना अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को तुरंत दी जाए।



- (C) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub Clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.
- (घ) इस अनुमोदन की समाप्ति के कम से कम 30 दिन पहले अनुमोदन के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
- (d) The application for renewal of approval should be submitted at least 30 days before the expiry of the current approval.

--Sd/--

(सतेन्द्र सिंह राणा)

(SATINDER SINGH RANA)

मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद।

Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad.

निदेशक, पुश्या मल्टीस्पेशिएलटी हॉस्पिटल, 32 सरदार पटेल नगर, ए बी सी -1 के सामने, वाघ बकरी टी लाउनज के पास, सी जी रोड, अहमदाबाद

The Director, Pushya Multi Specialty Hospital, 32, Sardar Patel Nagar, Opp. ABC-1, Nr. Wagh Bakri Tea Lounge, Off. C G Road, Ahmedabad

Copy To/प्रतिलिपि:-

1. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली।
- (1) The Secretary, CBDT, New Delhi.
2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, गुजरात, अहमदाबाद ।
- (2) Pr.Chief Commissioner of Income-tax, Gujarat, Ahmedabad.
3. मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), अहमदाबाद ।
- (3) The CCIT (TDS), Ahmedabad
5. मुख्य आयकर आयुक्त, सुरत / राजकोट ।
- (5) The CCsIT- Rajkot / Surat.
6. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), अहमदाबाद।
- (6) The DGIT (Inv), Ahmedabad
7. प्र. आयकर आयुक्त - 1/3, अहमदाबाद
- (7) Principal Commissioners of Income tax - 1/3, Ahmedabad
8. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-4(1), अहमदाबाद
- (8) The Addl. CIT. Range-4(1), Ahmedabad
9. आयकर अधिकारी, वार्ड, 4(2)(1), अहमदाबाद
10. आयकर अधिकारी, (जनसम्पर्क / कल्याण), अहमदाबाद
11. गार्ड फाईल

रंजीत

(रंजीत एम साह) (Ranjit M Sah)

सहायक आयकर आयुक्त, (मुख्या.)-1/ACIT(HQ)-1,

कृते, मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद-1/for Chief Commissioner of Income-tax-1, Ahmedabad

